न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 05/17 तारीख रजू– 08/03/17

गिन्दोडी पत्नि रामजीलाल उम्र 45 साल, जाति बैरवा , निवासी ग्राम रजवाना तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर । ----निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– मु0नटी देवी पुत्रो ग्यारसी लाल पत्नि बद्री लाल जाति बैरवा , उम्र 48 साल, निवासी किशनगढ छाहरा तहसील खण्डार हाल निवासी ग्राम रजवाना तहसील पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

2– ग्राम पंचायत रजवाना द्वारा संरपच ग्राम पंवायत रजवाना पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 27/5/18

प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत रजवाना के पट्टा संख्या 03 में पारित निर्णय दिनांक 22/10/2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 नें अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है तथा निगरानीगुजार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर पंचायत रजवाना के पट्टा संख्या 03 निर्णय दिनांक 22/10/2010 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए एवं अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार निगरानी मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया हैं तथा उक्त वाद–आराजीयात चरागाह भूमि है। चरागाह भूमि को बिना आबादी में परिवर्तित कराये पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय/पट्टा निरस्त योग्य है। उक्त वाद आरजीयात पर निगरानीकर्ता का 50 सालों पूर्व से बाडा बना हुआ है। जिसमें पशुओं को बांधने कृषि औजार रखने व चारा रखने के काम में अपने बुजुर्गो के समय से ही लेता जा रहा है। उक्त वाद आराजीयात की किस्म चरागाह होने के कारण निगरानीकर्ता ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष की थी जिस पर विकास अधिकारी सवाई माधोपुर ,संरपच, सचिव द्वारा मौका निरीक्षण, मौका रिपोर्ट बनाई गई। जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने अदालत मातहत के पट्टा संख्या 3 निर्णय दिनांक 22/10/2010 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि निगरानीगुजार द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे को निरस्त करने बाबत् एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा सही माना है। अप्रार्थीगण का अतिक्रमण आम रास्ते पर बतायाा है, जबकि आम

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रास्ते पर निगरानीगुजार द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है और रास्ते को अवरूद्ध किया हुआ है। जिस संबंध में अप्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय में एक दावा पेश किया हुआ है जो वर्तमान में स्थगन की बहस में है तथा अभी तक स्थगन प्राप्त नहीं हुआ है, साथ की वकील अप्रार्थीगण ने अदालत मातहत के पट्टा संख्या 3 निर्णय दिनांक 22/10/2010 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 3 निर्णय दिनांक 22/10/2010 जारी किया गया था। वकील निगरानीगुजार ने उक्त वाद आराजीयात चरागाह भूमि बताई है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त वाद–आराजीयात चरागाह भूमि सिद्ध होती हो तथा उक्त पट्टे पर सचिव एवं सरंपच दोनों के हस्ताक्षर अभिलिखित है तथा निगरानीगुजार ने उक्त वाद आरजीयात पर 50 सालों से कब्जा होना बताया है , लेकिन कब्जा के संबंध में कोई राजस्व अभिलेख/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त वाद आरजीयात पर निगरानी गुजार का कब्जा हो, साथ ही पत्रावली के संलग्न विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर के पत्रांक सुगम/2014/1368 दिनांक 18/11/14 द्वारा अप्रार्थीगण नटी पुत्री ग्यारसीलाल बैरवा ने उक्त पट्टे के अलावा मौके पर स्थित आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित व विधि अनुरूप प्रतीत होता है,

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत रजवाना के पट्टा संख्या 03 निर्णय दिनांक 22/10/2010 यथावत रखा जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त पट्टे की जांच करे तथा उक्त पट्टे के अलावा अप्रार्थीगण मु0 नटी देवी पुत्री ग्यारसी लाल पत्नि बद्रीलाल जाति बैरवा का आम रास्ते अथवा चरागाह पर अतिक्रमण हो तो नियमानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 27.4.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर